

झारखंड सरकार  
मानव संसाधन विभाग विभाग  
प्राधिकारिक शिक्षा निवेशालय

प्रेषण,

निवेशालय मार्फत झारखंड, राँची

सेवा में,

सचिव,  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

राँची, दिनांक २६/१/०२,

**विषय-** झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापूर्ति प्राप्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निवेशालय कहना है कि मानव संसाधन विभाग विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारों परान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापूर्ति प्राप्ति पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काँके रोड राँची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कोकर राँची।
3. इस्ट प्यार्डन्ट राँची।
4. सरस्वती विद्यापीठ फॉटोटा परियोजना खेलाड़ी, राँची।
5. दयावती बोदी पब्लिक स्कूल उपेश्तगर, चाण्डिल पूर्व सिंधुना।
6. गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च विद्यालय, आदित्यगुरु सरायला-खरसावां।
7. डी०ए०भी पब्लिक स्कूल सिंडेगा।
8. स्कूल आ०के लघीटीक्ष्ण लालडांगा हाउसिंग क्लोनी रिहून्चो-छंडांग।
9. उनभग पर्सनल स्कूल एहाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शशु विद्या पंदिर बरगढ़ा गिरीडीह।
11. सरस्वती विद्या पंदिर रजरप्प ग्रेजेन्ट हजारीबाग।
12. राम ग्राम चन्दभान सरस्वती विद्या पंदिर गोडा रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन पाउन्ट सोडापी, जैल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धेज जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापूर्ति प्राप्ति पत्र निर्गत किया गया है।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 लाख से ऊपर नहीं हो सकती यह प्राप्ति हो सके कि विद्यालय वार्षिक आय के उद्देश्य से स्थापित नहीं हो सकता।

P.K.Sharma

PRINCIPAL  
Munam Public School  
Affiliation No. 3430181  
School No.66369

गया है।

-2-

इन आय के 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयाग भी विद्यालय के विकास में लिया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी वर्षियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समझ कर्मियों को देय बेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं लिया जायेगा।
3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या इप से कम 30 वर्ष के निर्बंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए यदि अधिक ऐंजाँडोपरान्त विभिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्राप्त वक्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की भावाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या फैसिटेशन कीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य मुल्क का 50 प्रतिशत मुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्य क्लाप राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानकोश, शारीरिक एवं अभित्त्व विकास हेतु साकारात्मक प्रसास करना होगा।
8. विद्यालय में उत्तरों की सुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षा होना चाहिए।
9. विद्यालय में नामांकण प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रणिक्षण आदि में समय-तम्य पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विद्यालय द्वारा हेतु प्रक्रिया नियमावली के आधार पर गठित इताती निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की लूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्तिजित विभिन्न प्रकार के स्कॉलेन्स प्रोग्राम तथा इन0सी0सी0, इन0एस0एस0 स्कॉल एवं गार्ड गार्डि नो कुपार रूप से करना होगा।
12. यदि कोई तत्वां पूर्व से किसी घोड़े से सम्बद्ध प्राप्त हो तो विभागीय परिषद तंत्र्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शार्ते का पालन करना होगा अतिथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

13. उपर्युक्त शार्तों या वन्धेयों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली वास्तविक स्थिति से मिन्च पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र पा राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिसके तामाजिक कटूता हो तो नरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस न लेनेवाली है।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शार्तों एवं वन्धेयों दो अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जर्य समय-तम्य पर पानव संसाधन विभाग विभाग,

*Mukesh Kumar*  
PRINCIPAL  
Munam Public School  
Affiliation No. 3430181  
School No.66369

झारखंड के नवीन पदाधिकारों द्वारा ली जानेगी तथा तरकार बह बहिं विधायक  
संसदीय के विधायिक संघ अजाहपो अनिमापिताओं की बांध करा जाएगी और अंतर्रेखा  
बांधोपरान्त अमुखर्षी अनुचर्षी लार्वार्सी लर जाएगी ।

16. राज्य प्रधानिक निवार के नामिक मामलों जा निवारा अश्वर्षी  
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के खेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. तथ्य-लापन पर लोकहित औं भरकार द्वारा विधायक तथ्यालय संसदीय  
जो विषयीय निये साथें उक्ता अनुपातन करना अनिवार्य होगा अन्यथा आत्मी जा  
उल्पन्न मानते हुए अनापत्ति प्रयाण-पत्र घाफल लेने के साथ-ताव अन्य लापूर्वी लार्वार्सी  
अ श्री की जा सकेगी ।

### विधायकालभाजन

३०७, निवारा  
निवेदकालैयाध्यायिक फिल्हालै  
झारखंड, रांची ।

क्रापांक ३०७ / रांची, दिनांक - ३०.११.१९८४  
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निवेदक/ सभी संबंधित जिला फिल्हाला छह  
पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधायक के प्रधानाध्यायकों को सूचनार्थी प्रेषित ।

३०८, निवेदकालैयाध्यायिक फिल्हालै  
झारखंड, रांची ।

क्रापांक ३०७ / रांची, दिनांक - ३०.११.१९८४  
प्रतिलिपि, माननीय यंत्री के आमत तथिव/ सचिव, यानव हंताधन विकास  
विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थी ऐंव आवश्यक कार्यार्थी प्रेषित ।

३०९, निवेदकालैयाध्यायिक फिल्हालै  
झारखंड, रांची ।

*Munsharma*  
PRINCIPAL  
Munam Public School  
Affiliation No. 3430181  
School No.66369